फर्द अहकाम

कैलाश बनाम गंगा वगै0

207/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18.07.2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे स्वय का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियाँ पेश की है। वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किया जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर 14/8/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
14/8/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्यों में व्यस्त है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/8/24 को पेश हों।	
23/8/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/9/24 को पेश हों।	
20/9/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता अनु0। प्रार्थी के अधिवक्ता व प्रार्थी को बार-बार स्मरण लगाया गया लेकिन इनकी कोई भी उपस्थित नहीं हुई। [illegible] किया जाता है। [illegible] होगा उन्हें नम्बर देकर पत्र तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.03.19 11:04:26 IST
Reason: SelfAttested